

The Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Adhiniyam, 2012

Act 33 of 2012

Keyword(s): Gram, Krishkon, Bhagidari, Farmers, Village, Participation

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त 2012—भाद्र 3, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. 5849-268-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अगस्त 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३३ सन् २०१२.

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरिहत भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, २०१२.

[दिनांक २३ अगस्त, २०१२ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई, अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २५ अगस्त, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, २०१२ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० (क्रमांक २६ सन् १९७०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, अंक तथा शब्द ''२३ जून, १९८०'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''३१ दिसम्बर, २०११'' स्थापित किए जाएं.

धारा ५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, अंक तथा शब्द ''२३ जून, १९८०'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''३१ दिसम्बर, २०११'' स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति

- ४. (१) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक २ सन् २०१२) एतदुद्वारा निरसित किया जाता है.
- (२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. 5850-268-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2012 (क्रमांक 33 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT No. 33 of 2012

THE MADHYA PRADESH GRAMO ME KI DAKHALRAHIT BHOOMI (VISHESH UPABANDH) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 23rd August, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th August, 2012.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1970.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Adhiniyam, 2012.

Short title,

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1970 (No. 26 of 1970) (hereinafter referred to as the principal Act), for the figures, letters and words "23rd day of June, 1980", the figures, letters and words "31st day of December, 2011" shall be substitued.

Amendment of Section 3.

3. In Section 5 of the Principal Act, for the figures, letters and words "23rd day of June, 1980", the figures, letters and word "31st December, 2011" shall be substituted.

Amendment of Section 5.

4. (1) The Madhya Pradesh Gramo Me Ki Dakhalrahit Bhoomi (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Adhyadesh, 2012 (No. 2 of 2012) is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.